कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरादाबाद

आदेश सं0 /2020/मुरा0 दिनांकित 10.09.2020

प्रशासनिक आदेश

श्री अशोक कुमार गुप्ता, प्रबन्धक /प्रस्तुतकार न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या–01 ,मुरादाबाद द्वारा उनके सहायक लिपिक श्री भूपेन्द्र कुमार के कोविड पॉज़िटिव होने की सूचना प्राप्त हुयी है और श्री भूपेन्द्र कुमार आज दिनांक 10.09.2020 तक न्यायालय में कार्यरत रहे हैं।

परिस्थितियों में दीवानी न्यायालय परिसर अधिवक्तागण के चैम्बर्स सहित सेनिटाईज़ेशन कराने के उद्देश्य से दीवानी न्यायालय बन्द किया जाना उचित होगा।

अस्तु दीवानी न्यायालय परिसर (रेलवे कोर्ट मुरादाबाद एवं बाह्य न्यायालय ठाकुरद्वारा को छोडकर) दिनांक 11.09.2020 को सैनिटाइज़ेशन के उद्देश्य से मुख्यालय स्थित न्यायालय बन्द रखे जाने के आदेश किये जाते हैं। इसी कम में यह अपेक्षित है कि न्यायालय परिसर का (अधिवक्ताओं के चैम्बर सहित) समग्र रूप से सैनिटाइजेशन कराया जाये। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश भी हैं। इस हेतु जिलाधिकारी मुरादाबाद एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद को अलग से पत्र प्रेषित किये जायें।

श्री इन्तखाब आलम, अपर जिला जज/नोडल अधिकारी, आपदा प्रबन्धक योजना, को इस हेतु निर्देशित किया जाता है कि वह जिला प्रशासन व नगर निगम प्रशासन मुरादाबाद से समन्वय स्थापित कर उक्त सैनिटाइजेशन कार्य को सम्पन्न करायें।

श्री सरमद कबीर, कोर्ट प्रबन्धक भी इस कार्य में सहयोग देंगे।

10/9/20

(देवी शंकर प्रसाद श्रीवास्तव)
जिला न्यायाधीश
मुरादाबाद।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला एंव सत्र न्यायाधीश मुरादाबाद

आदेश सं0 /2020/मुरा0 दिनांकित 10.09.2020

प्रशासनिक आदेश

श्री अशोक कुमार गुप्ता, प्रबन्धक /प्रस्तुतकार न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या–01 ,मुरादाबाद द्वारा उनके सहायक लिपिक श्री भूपेन्द्र कुमार के कोविड पॉज़िटिव होने की सूचना प्राप्त हुयी है।

इस सूचना से यह स्पष्ट हो रहा है कि दि0 08.09.2020 को श्री भूपेन्द्र कुमार को जांच के लिये जिला चिकित्सालय मुरादाबाद भेजा गया था तथा आज दिनॉक 10.09.2020 तक वह न्यायालय भी आते रहे हैं। ऐसी सूचना दी गयी है कि आज दि0 10.09.2020 की शाम को उनके कोरोना पॉज़िटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुयी है।

जब श्री भूपेन्द्र कुमार को दि0 08.09.2020 को चिकित्सीय जांच के लिये जिला अस्पताल भेजा गया था, तो यह अपेक्षा थी कि वह तब तक न्यायालय नहीं आते, जब तक उनकी कोरोना की रिपोर्ट न आ गयी होती। बिना रिज़ल्ट आये उनके न्यायालय आते रहने से अन्य को भी संक्रमण का खतरा पैदा हुआ।

प्रभारी अधिकारी प्रशासन जॉच कर अपनी आख्या दें कि श्री भूपेन्द्र कुमार, सहायक लिपिक, किन परिस्थितियों में जॉच के लिए नमूना देने पश्चात् न्यायालय / कार्यालय में उपस्थित आते रहे।

ऐसी स्थिति में, यह भी आदेशित किया जाता है कि दि0 10.09.2020 श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक लिपिक के सम्पर्क में आये कर्मचारीगण व अधिवक्तागण, यदि उचित समझें, अपना कोरोना टेस्ट करा लें।

पुनः यह भी अपेक्षा की जा रही है कि कोई कर्मचारी या अधिवक्ता, यदि कोरोना के संबंध में अपना टेस्ट कराते हैं या उन्हें कोरोना का अंदेशा है, तो वे तब तक न्यायालय न आयें जब तक उनके कोरोना टेस्ट का निष्कर्ष न आ जाये।

तद्नुसार समस्त संबंधित सूचित हों।

Dev... 10.9.20

(देवी शंकर प्रसाद श्रीवास्तव)
जिला न्यायाधीश
मुरादाबाद।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला एंव सत्र न्यायाधीश मुरादाबाद

आदेश सं0 /2020/मुरा0 दिनांकित 10.09.2020

प्रशासनिक आदेश

जनपद मुख्यालय पर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या–1 मुरादाबाद में कार्यरत सहायक लिपिक, श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री यशवंत सिंह, को कोरोना संकमित होने की पॉजिटिव रिपोर्ट श्री अशोक कुमार गुप्ता, प्रबन्धक /प्रस्तुतकार न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या–01 , मुरादाबाद द्वारा प्रेषित की गई है। जिस कारण मुख्यालय स्थित समस्त न्यायालय दिनॉक 11.09.2020 को बन्द किए जाने हेतु प्रशासनिक आदेश पृथक से पारित किया जा चुका है। अतः एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है :–

(1) जनपद न्यायालय मुरादाबाद मुख्यालय स्थित जिला जज व अपर जिला जज न्यायालयों में नियत पत्रावलियों में (अर्जेन्ट प्रकृति के मामलों को छोड़कर) सामान्य तिथियॉ उक्त दिवस हेतु निम्न प्रकार की जाती है।

दिनॉक 11.09.2020 – नियत तिथि 05.10.2020

(2) जनपद न्यायालय मुरादाबाद मुख्यालय स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालयों में नियत पत्रावलियों में (अर्जेन्ट प्रकृति के मामलों को छोड़कर) सामान्य तिथियॉ उक्त दिवस हेतु निम्न प्रकार की जाती है।

दिनॉक 11.09.2020 – नियत तिथि 15.10.2020

(3) जनपद न्यायालय मुरादाबाद मुख्यालय स्थित समस्त न्यायालयों में लम्बित अर्जेन्ट प्रकृति एवं जमानत प्रार्थना पत्रों में सामान्य तिथियॉ उक्त दिवस हेतु निम्न प्रकार की जाती है।

दिनॉक 11.09.2020 – नियत तिथि 16.09.2020

सभी संबंधित सूचित हो एवं सभी बार एसोसिएशन्स को प्रति भेजें।

10/9/20

जनपद न्यायाधीश
मुरादाबाद।

Scanned with CamScanner